रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112026-278098
CG-DL-E-20112026-278098

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6097] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2026/कार्तिक 29, 1948
No. 6097] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2026/KARTIKA 29, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2026

सं. 37/2026 - सीमा शुल्क

का.आ. 6337(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतस्मिन् पश्चात अधिनियम से सन्दर्भित) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक कटे और पॉलिश किए गए हीरों को, जब भारत में आयात किया जाता हो, तो निम्नलिखित से छूट देती है:

(i) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उस पर लगने वाला संपूर्ण सीमा शुल्क;

(ii) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1), (3) और (5) के अंतर्गत आयातकर्ता द्वारा विशेष रूप से दावा किए जाने पर उस पर लगने वाला संपूर्ण अतिरिक्त सीमा शुल्क;

(iii) धारा 9क के अंतर्गत उस पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क, धारा 9 के अंतर्गत उस पर लगने वाले प्रतिकारी शुल्क (काउंटरवेलिंग) शुल्क, धारा 8ख के अंतर्गत उस पर लगने वाला सेफगार्ड शुल्क, यदि लागू हो;

(iv) मार्गस्थ उत्पाद विशिष्ट सेफगार्ड शुल्क, शिक्षा उपकर, यदि उद्ग्रहणनीय हो;

(v) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अंतर्गत लगने वाले संपूर्ण एकीकृत कर।

2. इस अधिसूचना के तहत दी गई छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, यथा:

(क) आयातित माल विदेशी व्यापार नीति के अध्याय 4 के अनुसार डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथराइजेशन (डीआईए) योजना के तहत वैध प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, जो ऐसे माल के शून्य सीमा शुल्क पर आयात की अनुमति देता है;

(ख) कि ऐसा प्राधिकार पत्र विदेश व्यापार नीति के अनुच्छेद 4.60 और 4.61 के साथ पठित अनुच्छेद 4.32 के उप-अनुच्छेद (v) के तहत तथा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के कटे और पॉलिश किए गए हीरों के औसत वार्षिक निर्यात प्रदर्शन मूल्य के पांच प्रतिशत तक के मूल्य के लिए जारी किया जाता है, बशर्ते कि यह मूल्य अधिकतम 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो;

(ग) प्राधिकरण का पंजीकरण और सीमा शुल्क निकासी संबंधी सभी प्रक्रियाएं, जैसा लागू हो, भारत डायमंड बोर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई में स्थित प्रीसस कार्गे कस्टम्स क्लियेरेन्स सेन्टर पर की जाएंऔर इस योजना के तहत सभी आयात और निर्यात केवल मुंबई हवाई अड्डे के माध्यम से ही किए जाएंगे;

(घ) आयातित प्राकृतिक कटे और पॉलिश किए गए हीरे की खेप में किसी भी एकल टुकड़े का अधिकतम वजन 25 सेंट या 1/4 कैरेट से अधिक नहीं होगा;

(ङ) कि आयातकर्ता को विदेश व्यापार नीति के अनुसार दो सितारा निर्यात गृह या उससे ऊपर का दर्जा प्राप्त हो, और,-

i. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में कटे और पॉलिश किए गए हीरे के लिए न्यूनतम 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात प्रदर्शन हासिल किया हो;

ii. उक्त तीन वर्षों के लिए सभी वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न और आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद, यदि पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न अंतिम रूप से तैयार नहीं हुआ है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें यह उल्लेख हो कि उक्त आयकर रिटर्न जमा करने का प्रमाण आवेदन वर्ष के 31 दिसंबर तक प्रस्तुत किया जाएगा;

(च) कि सीमाशुल्क के अधिकारियों के द्वारा बाद में किये जाने वाले निरीक्षण, यदि कोई हो, के लिए आयातकर्ता माल जिसमें कैरेट, रंग, स्पष्टता और कट (अर्थात, हीरे का आकार कैरेट, रंग, स्पष्टता और कट में) आते हैं और आयात और निर्यात के प्रत्येक लॉट का मूल्य, क्रमशः बिल ऑफ एंट्री वार और शिपिंग बिल वार की दृष्टि से प्रासंगिक और यथोचित कागजात रखता है;

(छ) कि डीआईए और डीआईए के तहत आयातित माल "वास्तविक उपयोगकर्ता" शर्त के अधीन होंगे और निर्यात दायित्व पूरा होने के बाद भी वे हस्तांतरणीय नहीं होंगे;

(ज) कि आयातित माल का प्रयोग डीआईए धारक के द्वारा, हेण्ड बुक ऑफ प्रोसीजर के पैराग्राफ 4.10 की शर्तों के अधीन रहते हुए, अपनी किसी भी इकाई में या जॉब्बर या सहायक विनिर्माता के द्वारा किया जा सकता है बशर्ते कि इसके

लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी के द्वारा प्राधिकार पत्र पर अनुमोदित हो और डीआईए के लिए सहलाइसेंसी की सुविधा उपलब्ध न हो;

(झ) आयातकर्ता विदेशी व्यापार नीति के अध्याय 4 और प्रक्रिया पुस्तिका में निर्धारित डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथराइजेशन योजना के सभी प्रावधानों और शर्तों का पालन करता है;

(ञ) आयातक सीमा शुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र एवं ऐसी जमानत के साथ एक बांड निष्पादित करेगा, जिसके अंतर्गत वह इस अधिसूचना की सभी शर्तों का अनुपालन करने तथा डीआईए के अंतर्गत निर्धारित निर्यात दायित्व को मुक्त ऑन-बोर्डआधार पर पूरा करने के लिए बाध्य होगा। उक्त निर्यात दायित्व की राशि डीआईए के अंतर्गत निर्धारित निर्यात दायित्व के बराबर होगी। इसके अतिरिक्त, आयातक उक्त अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में ऐसी सुरक्षा प्रदान करेगा, जिसकी राशि डीआईए के अंतर्गत आयात की अनुमति प्राप्त माल पर छोड़े गए शुल्क के बराबर होगी। उक्त बांड एवं सुरक्षा में यह भी उपबंध होगा कि आयातक मांग किए जाने पर, बिना किसी आपत्ति के, सरकार को उस राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा, जो योजना के अंतर्गत आयातित तथा अप्रयुक्त प्राकृतिक कटे एवं पॉलिश किए गए हीरों के मूल्य पर देय सीमा शुल्क के बराबर होगी। इसके साथ ही, धारा 28AA के अंतर्गत अधिसूचित लागू दरों पर ब्याज तथा, यदि कोई हो, जुर्माना या दंड भी देय होगा।

(ट) डीआईए के अंतर्गत निर्यात किए गए प्राकृतिक कटे और पॉलिश किए गए हीरों को इस संबंध में जारी प्रासंगिक अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुपालन के अधीन पुनः आयात किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए: -

(क) "डीआईए" का अर्थ है डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथराइजेशन;

(ख) "विदेश व्यापार नीति" का अर्थ है भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2023, जिसे अधिसूचना संख्या 01/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii), में प्रकाशित किया गया है।

(ग) "प्रक्रिया-पुस्तिका" का अर्थ है भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया-पुस्तिका, 2023, जिसे सार्वजनिक सूचना संख्या 1/2023, दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- I, खंड- I, में प्रकाशित किया गया है।

(घ) प्राकृतिक कट और पॉलिश किए गए हीरे में अर्ध-संसाधित हीरे, आधे कटे हुए हीरे और टूटे हुए हीरे शामिल होंगे।

(ङ) सिंथेटिक या पुनर्निर्मित हीरे, जिन्हें आमतौर पर "प्रयोगशाला में तैयार किये गए हीरे" के रूप में जाना जाता है, इस अधिसूचना के तहत दी गई छूट का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं हैं।

(च) "निर्यात दायित्व" का अर्थ है आयातक पर भारत के बाहर किसी स्थान पर निर्यात करने का दायित्व, इस अधिसूचना के संदर्भ में आयातित माल के मूल्यवर्धन के साथ इस शर्त के साथ कि-

i. दस प्रतिशत का न्यूनतम मूल्यवर्धन स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में वसूली द्वारा किया जाता है; विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 2.52 के उप-पैराग्राफ (घ) का प्रावधान इस योजना पर लागू नहीं होगा;

ii. इस दायित्व को अनन्य रूप से प्राकृतिक कट और पोलिश्ड हीरे के निर्यात् के माध्यम से पूरा किया जाना होता है जिसमें प्रत्येक हीरे का भार 25 सेंट या ¼ कैरेट से अधिक नहीं होता है और इसकी आयात खेप के क्लिरेन्स की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर तथा सीमाशुल्क के माध्यम से करना होता

iii. यह आयात पूर्व शर्तों के अधीन है और केवल उन्हीं निर्यातों को स्वीकार किया जाएगा, जो आयात की तारीख के बाद किए जाते हैं, योजना के तहत निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए स्वीकार किया जाएगा।

iv. इस योजना के तहत डीम्ड निर्यात की अनुमति नहीं है;

v. ऐसे किसी भी डीआईए के विरुद्ध; दायित्व को इस तरह से निर्वहन किया जाता है, कि आयातित हीरे की मात्रा (कैरेट में) निर्यात किए गए हीरे की मात्रा (कैरेट में) से अधिक नहीं होगी,

vi. इस योजना के अंतर्गत निर्यात् के शिपिंग बिल, संबंधित स्कीम कोड सहित, पर डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथराइजेशन नंबर पृष्ठांकित किया जायेगा ताकि विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्यात का सह-संबंध सुनिश्चित किया जाता है।

[फा. सं. 450/73/2024-सीमाशुल्क IV]

इंद्रजीत पांडा, अवर सचिव (सीमाशुल्क IV)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2026

No. 37/2026 – Customs

S.O. 6337(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby, exempts the natural cut and polished diamonds falling under Chapter 71 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the Act), when imported into India, from-

i. the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Act;

ii. the whole of the additional customs duty leviable thereon under sub-sections (1), (3) and (5) of section 3 of the Act, when specifically claimed by the importer;

iii. anti-dumping duty leviable thereon under section 9A, countervailing duty leviable thereon under section 9, safeguard duty leviable thereon under section 8B, if leviable;

iv. transition product specific safeguard duty, education cess, if leviable;

v. the whole of integrated tax leviable under sub-section (7) of section 3 of the Act.

2. The exemption granted under this notification shall be subject to the following conditions, namely:-

a. that the goods imported are covered by the valid authorisation under the Diamond Imprest Authorisation (DIA) Scheme in terms of Chapter 4 of the Foreign Trade Policy permitting import of such goods at zero customs duty;

b. that the authorisation is issued under, sub-paragraph (v) of paragraph 4.32 read with paragraphs 4.60 and 4.61 of the Foreign Trade Policy for the value up to five percent of the average annual export performance value of the cut and polished diamonds over the preceding three financial years, subject to a maximum value of US$ 15 million;

c. that the registration of the authorisation and all custom clearance related procedures be undertaken, as applicable, at the Precious Cargo Customs Clearance Centre situated at Bharat Diamond Bourse, Bandra Kurla Complex, Mumbai and all imports and exports under the Scheme is done only through Mumbai Airport;

d. that the maximum weight of any individual piece, in a consignment, of the natural cut and polished diamond so imported, shall not be more than 25 Cents or 1/4th of a Carat;

e. that the importer has the status of a two star export house or above, as per the Foreign Trade Policy, and,-

i. having achieved a minimum export performance of US$ 15 million for the cut and polished diamonds in each of the preceding three financial years;

ii. having filed all goods and services tax returns and income tax returns for the said three years and in case income tax returns of the preceding year is not finalised, a certificate issued by the chartered accountant may be submitted, stating that the proof of submission of said income tax returns shall be produced by 31st December of the application year;

f. that the importer maintains relevant or appropriate records in terms of the description of goods including carat, colour, clarity and cut (i.e., size of the diamonds in carat, colour, clarity and cut) and the value of each lot of imports and exports, bills of entry wise and shipping bill wise respectively, for subsequent inspection, if any, conducted by the customs officers;

g. that the DIA and the goods imported under DIA shall be subject to "actual user" condition and the same shall not be transferrable even after completion of the export obligation;

h. that the imported goods may be used by the DIA holder in any of its units, subject to the condition of paragraph 4.10 of the Handbook of Procedures or by the jobber or supporting manufacturer, provided the same is endorsed on the authorisation by the Regional Authority and the facility of co-licencee is not available for the DIA;

i. that the importer abides by all the provisions and the conditions of the Scheme of the Diamond Imprest Authorisation, as stipulated in Chapter 4 of the Foreign Trade Policy and the Handbook of Procedures;

j. that the importer shall execute a Bond, in such form and with such surety as may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, binding themselves to comply with all the conditions of this notification and to fulfil the export obligation, on free on-board basis, for an amount equal to the export obligation under the DIA; and shall furnish security, in such form as may be specified by the said officer, for an amount equivalent to the duty foregone on the goods allowed to be imported under the DIA; and therein undertaking to pay on demand, without demur, to the Government an amount equal to the customs duty leviable on the value of the unutilised natural cut and polished diamonds imported under the Scheme, along with interest at the applicable rates notified under section 28AA, and penalty or fine, if any.

k. that the natural cut and polished diamonds exported under DIA may be re-imported subject to compliances with the conditions of relevant notifications, issued in this regard.

3. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

Explanation- For the purpose of this notification: -

a. "DIA" means the Diamond Imprest Authorisation;

b. "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2023, notified by the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub- section (ii), *vide* notification No. 01/2023, dated the 31st March, 2023.

c. "Handbook of Procedures" means the Handbook of Procedures, 2023, notified by the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section-I, *vide* Public Notice No. 1/2023, dated the 1st April, 2023.

d. Natural cut and polished diamonds shall include semi-processed diamonds, half-cut diamonds and broken diamonds.

e. Synthetic or reconstructed diamonds, commonly referred to as "Laboratory Grown Diamonds" are not eligible to avail the exemption granted under this notification.

f. "export obligation" means obligation on the importer to export to a place outside India, with value-addition of goods imported in terms of this notification with the condition that-

i. a minimum value addition of ten percent is made by realising in freely convertible foreign currency; the provision of sub-paragraph (d) of paragraph 2.52 of the Foreign Trade Policy shall not be applicable to this Scheme;

ii. the obligation is fulfilled exclusively through physical export of natural cut and polished diamonds, with each diamond weighing not more than 25 cents or 1/4th of a Carat, within a period of six months from the date of clearance of the import consignment through customs;

iii. is subject to pre-import condition and only those exports, which are made after the date of import shall be accepted towards discharge of the export obligation under the Scheme;

iv. the deemed exports are not permitted under this Scheme;

v. obligation is discharged in such a manner, that the quantity of diamonds imported (in Carats) shall not exceed the quantity of diamonds exported (in Carats), against any such DIA;

vi. the shipping bills of exports made under this Scheme with the relevant scheme code shall be endorsed with the Diamond Imprest Authorisation Number to establish correlation of exports within the specified time limit.

[F. No. 450/73/2024-Cus IV]

INDRAJIT PANDA, Under Secy. (Cus IV)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA